

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 483

जिसका उत्तर दिनांक 06 अप्रैल, 2023 को दिया गया

विद्युत उत्पादन

\*483. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न माध्यमों से उत्पादित विद्युत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु द्वारा वर्ष 2019 से राष्ट्रीय ग्रिड या अन्य राज्यों को साझा की गई विद्युत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

## विवरण

श्री विष्णु प्रसाद एम.के. द्वारा विद्युत उत्पादन के बारे में पूछे गए दिनांक 06.04.2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 483 के संबंध में भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) : वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 (फरवरी, 2023 तक) की अवधि के दौरान, देश में विभिन्न माध्यमों से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत उत्पादन के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ख) : वर्ष 2019 से तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय ग्रिड अथवा अन्य राज्यों को साझा की गई विद्युत के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ग) : विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) उत्पादन क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। उत्पादकों को उच्च मांग की अवधि से पहले अपने संयंत्रों का रख-रखाव संबंधी कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। उच्च मांग अवधि (यथा अप्रैल से मई, 2023 तक) के दौरान किसी प्रकार का नियोजित रख-रखाव कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।
- (ii) कोयले के उत्पादन तथा प्रेषण में, जहां तक संभव हो सके, वृद्धि के लिए कोयला और रेल मंत्रालय के साथ नियमित आधार पर निगरानी और समन्वय करना।
- (iii) घरेलू कोयले की कम आपूर्ति होने के मामले में उत्पादकों को सम्मिश्रण प्रयोजन हेतु कोयले का समय पर आयात करने को कहा गया है ताकि संयंत्र में पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक बना रहे।
- (iv) स्वदेशी कोयला कंपनियों (सीआईएल और एससीसीएल) से कोयला आपूर्ति के अनुपूरण के लिए सभी कैप्टिव कोयला ब्लॉकों को अधिकतम कोयला उत्पादन करने के लिए कहा गया है।
- (v) गैस आधारित स्टेशनों के संचालन के लिए, विद्युत की उच्च मांग वाले महीनों के दौरान, गेल से गैस की अतिरिक्त व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है।

- (vi) विद्युत संशोधन नियम, 2022 को दिनांक 29 दिसंबर 2022 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें संसाधन पर्याप्तता योजना तैयार किया जाना अधिदेशित है ताकि उपभोक्ताओं की विद्युत की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।
- (vii) आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों को उच्च मांग अवधि के दौरान कोयले का स्टॉक रखने और विद्युत का उत्पादन करने संबंधी सांविधिक निर्देश जारी किए गए हैं।
- (viii) विद्युत मंत्रालय ने एनटीपीसी के अलावा गैस आधारित विद्युत यूटिलिटीयों से विद्युत की खरीद के लिए दिनांक 09.03.2023 को व्यस्ततम मांग के सहयोग हेतु वर्ष 2023 की विषम ग्रीष्म अवधि में बाजार आधारित विद्युत की बिक्री के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) को निर्देश दिया है।
- (ix) जल के बेहतर उपयोग के लिए जल-विद्युत स्टेशनों के जलाशय स्तर की निगरानी की जा रही है। सभी जलविद्युत संयंत्रों को यह निर्देश दिया गया है कि वे वर्तमान माह में जल के बेहतर उपयोग के लिए, अगले महीने में बेहतर उपलब्धता के लिए, आरएलडीसी/एसएलडीसी के परामर्श से कार्य करें।
- (x) मार्च, 2023 तक 2920 मेगावाॅट की नई कोयला आधारित क्षमता (उत्तर कर्णपुरा-660 मेगावाॅट, बाढ़-660 मेगावाॅट, तेलंगाना-800 मेगावाॅट और दामोदरन संजीवैया-800 मेगावाॅट) बढ़ाए जाने की संभावना है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

"विद्युत उत्पादन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 06.04.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 483 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वर्ष 2019-20 से 2022-23 (फरवरी, 2023 तक) तक की अवधि के दौरान, देश में विभिन्न माध्यमों से विद्युत उत्पादन के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे

क्षेत्र	राज्य	ईंधन	वास्तविक उत्पादन वर्ष 2022-23 का जोड़ (फरवरी, 2023 तक) (एमयू)	वास्तविक उत्पादन वर्ष 2021-22 का जोड़ (एमयू)	वास्तविक उत्पादन वर्ष 2020-21 का जोड़ (एमयू)	वास्तविक उत्पादन वर्ष 2019-20 का जोड़ (एमयू)
उत्तरी क्षेत्र (एनआर)	चंडीगढ़	डीजल				
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	11.18	14.19	10.156	13.334
	दिल्ली	कोयला			0	0
		प्राकृतिक गैस	3681.2	4948.57	5304.01	6015.11
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	476.70758	458.733451	426.703261	423.67
		हाइड्रो	30145.38	22847.43	13994.58	16761.85
	हरियाणा	कोयला				
		हाइड्रो				
		प्राकृतिक गैस	2.59	120.3	901.8	555.16
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	1299.1	1135.41922	760.748	733.500562
	हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	37204.23	36459.64	37473.47	40834.88
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	2791.46	2043.7569	2160.295	2167.238
	जम्मू और कश्मीर	हाई स्पीड डीजल	0	0	0	0
		हाइड्रो	15673.72	17074.02	17002.68	18094.12
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	365.32012	415.8114	439.2918	443.12568
	लद्दाख	हाइड्रो	385.96	405.98	376.21	270.28
		कोयला	28765.51	24175.82	17994.79	20901.67
	पंजाब	हाइड्रो	4095.32	3709.73	4747.03	5123.48
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	3704.048102	3242.154131	2864.470113	2722.530232
		कोयला	43166.98	40846.37	36776.84	38486.35
		हाइड्रो	892.41	481.84	469.63	606.18
	राजस्थान	लिग्नाइट	8199.19	8762.03	8478.53	7403.55
		प्राकृतिक गैस	1350.54	1499.01	1018.69	1033.51
		न्यूक्लियर	6141.95	8308.85	7386.05	8451.58
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	37215.6106	24099.31389	16516.38015	14348.95676
	उत्तर प्रदेश	कोयला	139167.64	130698.93	119592.96	117018.91
		हाइड्रो	917.3	1402.68	1572.35	1073.48
		प्राकृतिक गैस	889.68	1148.49	2470.75	2296.54
		न्यूक्लियर	2877.08	3580.25	3284.81	3791.29
	उत्तराखंड	नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	6289.534625	6328.93703	5747.78288	5143.20028
		हाइड्रो	14763.04	14332.13	13592.49	14554.53
		प्राकृतिक गैस	0	1012.32	721.97	1986.79
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	855.91	872.32	1236.853	1193.9513
पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर)	छत्तीसगढ़	कोयला	128377.27	140870.87	134614.5	117992.27
		हाइड्रो	209.54	404.13	419.19	236.79
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	1788.218927	1938.208392	1633.893886	1107.872994
	गोवा	नापथा	0	0	0	0

		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	18.02	16.822	1.455346	0.8204
	गुजरात	कोयला	44496.5	43884.4	71637.55	79011.04
		हाइड्रो	5841.69	2621.51	4233.36	5414.68
		लिंगनाइट	5118.5	5684.02	5421.24	5579.58
		बहु-विध ईंधन				
		प्राकृतिक गैस	1848.85	7353.85	18877.21	13515.42
		न्यूक्लियर	3320.03	3503.47	3712.96	3428.6
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	27504.52653	24839.52868	17977.39082	17716.92936
	मध्य प्रदेश	कोयला	124292.42	129634.45	123089.78	114818.28
		हाइड्रो	7038.78	4686.72	6477.33	6281.74
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	8190.64834	8716.7338	8517.857589	8297.876427
	महाराष्ट्र	कोयला	112404.64	116485.92	98173.83	107002.16
		हाइड्रो	5441.12	6007.38	5548.46	5880.58
		प्राकृतिक गैस	2219.12	6124.19	5963.43	7999.04
		न्यूक्लियर	8373.41	8602.18	7886.62	10536.43
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	15740.10403	15845.6372	14232.66598	13985.78959
	दादरा और नगर हवेली	नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	29.11	49.161911	11.956423	6.188802
	दमन और दीव	नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)		47.668342	40.044964	21.827558
दक्षिणी क्षेत्र (एसआर)	आंध्र प्रदेश	कोयला	54963.38	53326.74	46145.71	56916.07
		डीजल	0	0	0	0
		हाइड्रो	3549.98	3113.83	3280.12	3013.43
		प्राकृतिक गैस	610	2094.34	3323.24	3013.62
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	15125.42	15662.60615	14133.82605	13993.20126
	कर्नाटक	कोयला	31163.96	30505.26	19861.24	23836.42
		डीजल	0	0	0	0
		हाइड्रो	12164.44	13936.46	12587.35	14014.27
		प्राकृतिक गैस	0	0	0	0
		न्यूक्लियर	6777.27	7492.05	7093.92	7278.22
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	26914.561	28634.27521	27850.331	25648.423
	केरल	डीजल	0.12	0	7.83	12.04
		हाइड्रो	7549.27	9317.44	6628.39	5454.04
		नाप्टा	0	0	101.41	0
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	1801.604	1614.624	1092.12259	804.744
	लक्षद्वीप	नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	0.094653	0.303539	0.449882	0.657422
	लक्षद्वीप	डीजल	9.46			
	पुदुचेरी	प्राकृतिक गैस	212.55	251.13	232.15	255.79
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	11.22	12.24	6.39	4.14
	तमिलनाडु	कोयला	39142.42	36802.55	32329.41	42880.83
		डीजल	0	0	0	0
		हाइड्रो	5708.02	5212.07	5212.71	4765.24
		लिंगनाइट	19538.64	22647.99	16605.91	19995.63
		नाप्टा	0.83	0	0	0
		प्राकृतिक गैस	1684.91	1732.22	2264.73	2869.99
		न्यूक्लियर	14323.56	15625.26	13664.72	12986.33
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	25819.2431	24061.28457	21659.04504	19763.885
	तेलंगाना	कोयला	45699.87	51550.06	44760.76	47347.78
		हाइड्रो	5933.43	5626.63	3645.38	4507.04
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	6698.1832	7345.8912	6933.368599	6794.23255
पूर्वी क्षेत्र (ईआर)	बिहार	कोयला	50463.55	43940.4	33866.14	35360.76
		हाइड्रो				
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	252.9042427	239.8317165	226.6063646	358.6790305
	पश्चिम बंगाल	कोयला	79406.42	83216.77	72735.07	71395.39
		हाई स्पीड डीजल	0	0	0	0

		हाइड्रो	3284.83	3189.84	3212.28	2916.38
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	1796.048373	1845.089042	1530.695295	1475.040798
	झारखंड	कोयला	27697.33	28338.72	27219.97	26072.08
		हाइड्रो	297.6	547.96	223.09	150.96
		नापथा				
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	18.234419	28.705427	26.4677	24.17372
	ओडिशा	कोयला	58723.08	60161.29	55206.47	41525.2
		हाइड्रो	5145.22	5230.63	6859.97	6728.77
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	1103.480981	1081.103649	877.769077	783.196322
	अंडमान निकोबार	डीजल	185.88	117.24	118.48	96.19
		हाइड्रो				
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	35.197798	34.770515	39.509953	17.301852
	सिक्किम	डीजल				
		हाइड्रो	11364.66	11493.9	10879.5	11027.36
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	11.32538	12.35496	55.96286	60.618875
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (एनईआर)	अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रो	4617.31	4161.28	3451.34	1786.46
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	24.5737	2.13	2.096	2.238496
	असम	कोयला	4700.3	4201.45	2976.74	3929.96
		हाइड्रो	467.46	676.24	270.87	1291.68
		बहु-विध ईंधन				
		प्राकृतिक गैस	3075.06	3399.1	2721.4	2808.73
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	252.17	122.103799	51.513945	58.765535
	मणिपुर	डीजल	0	0	0	0
		हाइड्रो	469.4	455.48	621.62	366.59
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	7.50995	6.722	7.711	4.2041
	मेघालय	हाइड्रो	940.91	841.82	1151.99	1018.29
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	67.430362	44.67697521	56.792036	62.73
	मिजोरम	डीजल				
		हाइड्रो	195.81	137.44	158.85	177.02
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	54.0096558	28.0939456	33.5201	50.0029
	नागालैंड	कोयला				
		हाइड्रो	173.77	100.55	203.86	180.85
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	108.708712	63.4745	69.7674	75.87
	त्रिपुरा	हाइड्रो				
		प्राकृतिक गैस	6447.23	6332.25	7043.21	6092.94
		नवीकरणीय (हाइड्रो को छोड़कर)	6.033964	7.619388478	15.617836	28.103087
आयात	भूटान (आईएमपी)	हाइड्रो	6720.9	7493.2	8765.5	5794.48
भारत	अखिल भारत	कुल				
<b>कुल जोड़</b>			<b>1487097.872</b>	<b>1491859.367</b>	<b>1381893.938</b>	<b>1389159.72</b>

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

"विद्युत उत्पादन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 06.04.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 483 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**वर्ष 2019 से तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय ग्रिड अथवा अन्य राज्यों को साझा की गई विद्युत के ब्यौरे**

वर्ष	कंपनी से	समाहित कंपनी से	कंपनी को	समाहित कंपनी को	एमयू	वर्ष में कुल ऊर्जा (एमयू)
जनवरी-दिसंबर 2019	तमिलनाडु	टैनजेडको	दिल्ली	बीवाईपीएल	23.93	128.85
	तमिलनाडु	टैनजेडको	मेघालय	एमईपीडीसीएल	9.60	
	तमिलनाडु	टैनजेडको	पंजाब	पीएसपीसीएल	45.11	
	तमिलनाडु	टैनजेडको	पश्चिम बंगाल	आईपीसीएल_डब्ल्यूबी	50.16	
	तमिलनाडु	टैनजेडको	महाराष्ट्र	ईएमएल	0.06	
जनवरी-दिसंबर 2020	तमिलनाडु	टैनजेडको	दिल्ली	बीवाईपीएल	135.41	854.90
	तमिलनाडु	टैनजेडको	दिल्ली	बीआरपीएल	51.00	
	तमिलनाडु	टैनजेडको	पंजाब	पंजाब	111.87	
	तमिलनाडु	टैनजेडको	हरियाणा	हरियाणा	377.23	
	तमिलनाडु	टैनजेडको	पंजाब	पंजाब	179.39	
जनवरी-दिसंबर 2021	तमिलनाडु	टैनजेडको	दिल्ली	बीआरपीएल	59.49	1202.98
	तमिलनाडु	टैनजेडको	दिल्ली	टीपीडीडीएल	48.45	
	तमिलनाडु	टैनजेडको	पंजाब	पंजाब	359.09	
	तमिलनाडु	टैनजेडको	हरियाणा	हरियाणा	686.87	
	तमिलनाडु	टैनजेडको	दिल्ली	बीवाईपीएल	47.21	
	तमिलनाडु	टैनजेडको	कर्नाटक	नेस्लेइंड	0.19	
	तमिलनाडु	टैनजेडको	ओडिशा	जीआईएल_सीडीगंजाम	0.54	
	तमिलनाडु	टैनजेडको	ओडिशा	वीएसएल	0.63	
तमिलनाडु	टैनजेडको	डीवीसी	टीएसएल	0.52		
जनवरी-दिसंबर 2022	तमिलनाडु	टैनजेडको	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	1.56	811.97
	तमिलनाडु	टैनजेडको	दिल्ली	बीआरपीएल	197.51	
	तमिलनाडु	टैनजेडको	दिल्ली	बीवाईपीएल	74.40	
	तमिलनाडु	टैनजेडको	पंजाब	पंजाब	516.80	
	तमिलनाडु	टैनजेडको	मध्य प्रदेश	एमपीएसईबी_लाभार्थी	21.70	
वर्ष 2023 (जनवरी से 19 मार्च, 2023)	तमिलनाडु	टैनजेडको	मध्य प्रदेश	एमपीएसईबी_लाभार्थी	189.50	218.00
	तमिलनाडु	टैनजेडको	राजस्थान	आरयूवीएनएल	28.50	

तमिलनाडु द्वारा बेची गई ऊर्जा (पावर एक्सचेंजों के माध्यम से समाहित कंपनियों सहित)

वर्ष	एमयू
2019	181.72
2020	81.40
2021	285.65
2022	827.34
2023 (19 मार्च, 2023 तक)	269.18

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 491

जिसका उत्तर दिनांक 06 अप्रैल, 2023 को दिया गया

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा लगाए गए प्रभारों को नियंत्रित  
करने हेतु दिशानिर्देश

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा लगाए गए प्रभारों को नियंत्रित करने हेतु दिशा-निर्देश

\*491. श्री रघु राम कृष्ण राजू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्युत वितरण कंपनियां अधिक वहीलिंग प्रभार लगा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप बाद में बिजली के बिलों में वृद्धि होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा लगाए जाने वाले ऐसे अत्यधिक प्रभारों को नियंत्रित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

## विवरण

श्री रघु राम कृष्ण राजू द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा लगाए गए प्रभारों को नियंत्रित करने हेतु दिशानिर्देश के बारे में पूछे गए दिनांक 06.04.2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 491 के संबंध में भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) और (ख) : वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने वितरण नेटवर्क के माध्यम से विद्युत के संवहन के लिए वहीलिंग प्रभार वसूले जाते हैं। वहीलिंग प्रभार अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होते हैं। विद्युत अधिनियम और टैरिफ नीति में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसरण में संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) द्वारा, वहीलिंग प्रभारों सहित, खुदरा टैरिफ के विभिन्न घटकों का निर्धारण किया जाता है और इसे आपूर्ति लागत के निमित्त वसूला जाता है।

(ग) से (ड) : टैरिफ नीति यह निर्धारित करती है कि उपभोक्ताओं के लिए उचित दर पर विद्युत की आपूर्ति की सुविधा के साथ-साथ, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला जैसे विद्युत का उत्पादन, पारेषण और वितरण की व्यवहार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता के हित का ठीक प्रकार से ध्यान रखा जाता है। इसलिए, उपयुक्त आयोग को सभी विवेकपूर्ण लागतों की वसूली के संबंध में उत्पादन, पारेषण और वितरण की व्यवहार्यता सुनिश्चित करना सौंपा गया है।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, समय पर टैरिफ ऑर्डर और डू अप ऑर्डर जारी करना, इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए डिस्कॉमों के मूल्यांकन हेतु पूर्व-अर्हता मापदंडों में से एक है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने, राज्य डिस्कॉमों/ट्रांस्कोज़/जेनकोज को कार्यशील पूंजीगत ऋण मंजूर करने के लिए अतिरिक्त विवेकसम्मत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें अनिवार्य रूप से यह व्यवस्था है कि डिस्कॉमों और अन्य राज्य स्वामित्व वाली यूटिलिटियों को दिए गए ऋण निर्धारित शर्तों के निमित्त उनके कार्य-निष्पादन पर निर्भर होंगे जिसमें टैरिफ ऑर्डर और डू अप ऑर्डर समय पर जारी करना

शामिल है। इसके अतिरिक्त, पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) ने राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के अतिरिक्त ऋण संबंधी अंतर की अनुमति देने के लिए जून, 2021 में एक कार्यक्रम शुरू किया, जो विद्युत क्षेत्र में विशेष सुधारों को निरंतरता और उनके द्वारा दी गई वचनबद्धता की शर्त पर होगा। प्रवेश स्तर संबंधी कुछ शर्तों में समय पर टैरिफ ऑर्डर और ड्र अप ऑर्डर जारी करना शामिल है, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि डिस्कॉमों द्वारा अतिरिक्त उधारी मूल्यांकित और न्यायासंगत हो।

विद्युत अधिनियम की धारा 61 और 62, विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण, वहीलिंग और खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ का निर्धारण करने के लिए सेवा लागत, दक्षता और उपभोक्ताओं के हितों जैसे मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्दिष्ट करती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 500

जिसका उत्तर दिनांक 06 अप्रैल, 2023 को दिया गया

गर्मियों में विद्युत की मांग

\*500. श्री ए. गणेशमूर्ति:

श्री ए. राजा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आगामी गर्मी के मौसम में विद्युत की मांग के संबंध में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में लोड शेडिंग को रोकने के लिए अधिकतम मांग वाले महीनों के दौरान विद्युत की अधिक मांग को पूरा करने के लिए किए गए/किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

## विवरण

श्री ए. गणेशमूर्ति और श्री ए. राजा द्वारा गर्मियों में विद्युत की मांग के बारे में पूछे गए दिनांक 06.04.2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 500 के संबंध में भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) और (ख) : नवीनतम लोड जनरेशन बैलेंस रिपोर्ट (एलजीबीआर) के अनुसार, गर्मियों के महीनों के लिए वर्ष 2023-24 हेतु अनुमानित अखिल भारतीय ऊर्जा आवश्यकता तथा व्यस्ततम मांग के माह-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) : अप्रैल, 2023 और मई, 2023 माह को उच्च मांग अवधि के रूप में घोषित किया गया है। वर्तमान वर्ष 2023-24 के दौरान, गर्मियों की अवधि के दौरान व्यस्ततम मांग लगभग 229 गीगावाट होने की उम्मीद है। विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) उत्पादन क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। उत्पादनकर्ताओं को उच्च मांग की अवधि से पहले अपने संयंत्रों का रख-रखाव संबंधी कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। उच्च मांग अवधि (यथा अप्रैल एवं मई, 2023) के दौरान किसी प्रकार का नियोजित रख-रखाव कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।
- (ii) कोयले के उत्पादन तथा प्रेषण में, जहां तक संभव हो सके, वृद्धि के लिए कोयला और रेल मंत्रालय के साथ नियमित आधार पर निगरानी और समन्वय करना।
- (iii) सभी उत्पादकों को सम्मिश्रण प्रयोजन हेतु कोयले का समय पर आयात करने को कहा गया है ताकि संयंत्र में पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक बना रहे।
- (iv) स्वदेशी कोयला कंपनियों (सीआईएल और एससीसीएल) से कोयला आपूर्ति के अनुपूरण के लिए सभी कैप्टिव कोयला ब्लॉकों को अधिकतम कोयला उत्पादन करने के लिए कहा गया है।

- (v) गैस आधारित स्टेशनों के संचालन के लिए, विद्युत की उच्च मांग वाले महीनों के दौरान, गैस से गैस की अतिरिक्त व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है।
- (vi) आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों को उच्च मांग अवधि के दौरान कोयले का स्टॉक रखने और विद्युत का उत्पादन करने संबंधी सांविधिक निर्देश जारी किए गए हैं।
- (vii) विद्युत मंत्रालय ने एनटीपीसी के अलावा गैस आधारित विद्युत यूटिलिटियों से विद्युत की खरीद के लिए दिनांक 09.03.2023 को व्यस्ततम मांग के सहयोग हेतु वर्ष 2023 की विषम ग्रीष्म अवधि में बाजार आधारित विद्युत की बिक्री के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) को निर्देश दिया है।
- (viii) जल के बेहतर उपयोग के लिए जल-विद्युत स्टेशनों के जलाशय स्तर की निगरानी की जा रही है। सभी जलविद्युत संयंत्रों को यह निर्देश दिया गया है कि वे वर्तमान माह में जल के बेहतर उपयोग के लिए, अगले महीने में बेहतर उपलब्धता के लिए, आरएलडीसी/एसएलडीसी के परामर्श से कार्य करें।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

"गर्मियों में विद्युत की मांग" के बारे में लोक सभा में दिनांक 06.04.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 500 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

गर्मियों के महीनों (अप्रैल, 2023 से जून, 2023) के लिए वर्ष 2023-24 हेतु अनुमानित अखिल भारतीय ऊर्जा आवश्यकता और व्यस्ततम मांग के माह-वार ब्यौरे

माह	अखिल भारतीय ऊर्जा आवश्यकता (एमयू में)	अखिल भारतीय व्यस्ततम मांग (मेगावाट में)
अप्रैल, 2023	142,097	229,018
मई, 2023	141,464	218,609
जून, 2023	139,860	224,173

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-5532  
जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2023 को दिया गया

राज्य विद्युत विनियामक आयोग

5532. श्री सु. थिरुनवुककरासर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) में कई पद रिक्त पड़े हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत के निवेश/आपूर्ति पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए समयबद्ध तरीके से रिक्तियों को भरने के लिए राज्यों को कोई निर्देश जारी किया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सभी रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 राज्य सरकार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करती है। विनियामक मंच (एफओआर) द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार एसईआरसीज़ में राज्य-वार रिक्ति की स्थिति के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर संबंधित एसईआरसी में अध्यक्षों/सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए समय-समय पर सभी आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 06.04.2023 को उत्तर दिए गए अतारंकित प्रश्न संख्या 5532 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) में रिक्तियों की स्थिति

[दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार]

क्रम सं.	एसईआरसी/जेईआरसी का नाम	पद	रिक्त पद
1.	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एपीएसईआरसी)	अध्यक्ष	1 [ अध्यक्ष : दिनांक 01-01-2020 से ]
2.	बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी)	अध्यक्ष + 2 सदस्य	1 [ 1 सदस्य : दिनांक 08-08-2021से ]
3.	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी)	अध्यक्ष + 2 सदस्य	2 [ अध्यक्ष : दिनांक 10-01-2023 से ] और [ 1 सदस्य : दिनांक 10-01-2021 से]
4.	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)	अध्यक्ष + 2 सदस्य	1 [ 1 सदस्य : दिनांक 08-10-2021 से]
5.	मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एमएसईआरसी)	अध्यक्ष + 1 सदस्य	1 [ 1 सदस्य : दिनांक 01-01-2023 से]
6.	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (पीएसईआरसी)	अध्यक्ष + 2 सदस्य	1 [ 1 सदस्य : दिनांक 05-05-2022 से]
7.	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी)	अध्यक्ष + 2 सदस्य	1 [ 1 सदस्य : दिनांक 05-10-2022 से]
8.	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (यूईआरसी)	अध्यक्ष + 2 सदस्य	1 [ अध्यक्ष : दिनांक 17-04-2019 से]
9.	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (डबल्यूबीईआरसी)	अध्यक्ष + 2 सदस्य	1 [ 1 सदस्य : दिनांक 29-04-2022 से]

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5537

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2023 को दिया गया

स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम

5537. श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या वर्तमान में उक्त कार्यक्रम को देश के कुछ ही राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है/कार्यान्वित किए जाने का विचार है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है; और
- (ङ) इस संबंध में अब तक निर्धारित/प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी हाँ। माननीय प्रधान मंत्री ने, पूरे भारत में परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए, दिनांक 05 जनवरी, 2015 को, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) की शुरुआत की, जिसका कार्यान्वयन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), जो कि विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वारा किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : यह कार्यक्रम पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) : स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी), एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ईईएसएल ने 5 वर्षों में, देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीज़)/ग्राम पंचायतों (जीपीज़) में मौजूदा अनुमानित 1.34 परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों में परिवर्तित करने का उद्देश्य निर्धारित किया था। इसके लिए, ईईएसएल स्ट्रीट लाइटों को बदलना आरंभ करने से पूर्व, सीधे यूएलबीज़/जीपीज़ के साथ अथवा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के माध्यम से करार करता है।

(ङ) : एक स्वैच्छिक कार्यक्रम होने के कारण, एसएलएनपी के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। अब तक, ईईएसएल ने 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1.28 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें संस्थापित की हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-5540  
जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2023 को दिया गया

विद्युत संयंत्रों में कोयले की अनुपलब्धता

5540. श्री मारगनी भरतः

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा कोयला आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली संभारतंत्रीय बाधाओं जैसे रेल द्वारा कोयले के परिवहन के लिए रैकों की उपलब्धता के मुद्दों और मानसून के मौसम के दौरान कोयले के परिवहन में आने वाली चुनौतियों, जिससे विद्युत संयंत्रों में कोयले की अनुपलब्धता हो सकती है, से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
- (ख) क्या सरकार ने कोयले की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या को रोकने के लिए रेल, कोयला और विद्युत मंत्रालयों के साथ समन्वित प्रयास किए हैं क्योंकि कोयले के परिवहन के लिए रेलगाड़ियों की कमी से ईंधन की आपूर्ति का संकट गहरा रहा है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार ने कोयला परिवहन व्यवस्था के लिए अग्रिम योजना बनाने के प्रयास किए हैं ताकि विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी को रोका जा सके; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : कोयला आपूर्ति श्रृंखला में प्रचालन संबंधी बाधाओं का समाधान करने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों सहित अंतर-मंत्रालयी उप समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रचालनात्मक

निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की संकटपूर्ण स्थिति को नियंत्रित करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है।

- (ii) कोयला आपूर्ति की मध्यावधिक और दीर्घावधिक आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए, सचिव स्तरीय एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) निरंतर बैठकें करती है। आईएमसी में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड; सचिव, कोयला मंत्रालय; सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा संयोजक के रूप में सचिव, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं।
- (iii) वर्ष 2022 में, रेलवे वैगनों की वृद्धि के लिए, 84,178 नए वैगनों के लिए संविदाएं जारी की गई हैं, जिसके निमित्त आपूर्ति शुरू हो गई है और अगले 3 वर्षों में पूरी होने की संभावना है। वर्ष 2022 में जारी किए गए वैगन संविदाओं में कोयला लदान बढ़ाने के लिए 39,763 बीओएसएनएचएल वैगनों और 3500 बीओबीआरएन वैगनों की आपूर्ति तथा कृषि वस्तुओं के परिवहन को बढ़ाने के लिए 40,000 बीसीएनए वैगनों की आपूर्ति शामिल है।
- (iv) उपर्युक्त के अलावा, कोयले की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए, रेलवे का ध्यान क्षमता वृद्धि परियोजनाओं को पूरा करने पर केंद्रित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, 1984 किलोमीटर मल्टी ट्रेकिंग आरंभ की जा चुकी है और इस वित्तीय वर्ष में, अब तक, 1574 किलोमीटर मल्टी ट्रेकिंग आरंभ की जा चुकी है।
- (v) रेल मंत्रालय और कोयला कंपनियों के परामर्श से कोयला आधारित विद्युत संयंत्र खदानों/निजी वाशरियों/वस्तु संबंधी शेडों से कोयले को उठाने की योजना बना रहे हैं।
- (vi) विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 09.01.2023 के पत्र के माध्यम से केंद्रीय/राज्य जेनकोस और आईपीपीज को आवश्यक कार्रवाईयां करने तथा एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी क्रय के माध्यम से भार के आधार पर 6% की दर से सम्मिश्रण के लिए कोयले का आयात करने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि सितंबर, 2023 तक सुचारू प्रचालनों के लिए उनके विद्युत संयंत्रों के पास पर्याप्त स्टॉक बना रहे।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5546

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2023 को दिया गया

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना

5546. कुमारी राम्या हरिदास:

श्रीमती पूनम महाजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा बिजली उत्पादन कंपनियों (जेनकोस) को कुल बकाया राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा ब्यारा है;
- (ख) राज्यों और सभी हितधारकों से परामर्श के पश्चात् अपनाए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) विनियामक आस्तियां और उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) को छोड़कर, आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और प्राप्त औसत राजस्व (एआरआर) के मध्य अंतर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) देश में सभी डिस्कॉम के संचित घाटे का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) डिस्कॉम को वित्तीय संकट से बाहर निकालने के लिए प्रदान किए जा रहे राहत/पुनर्वास पैकेज का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : प्राप्ति पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 28.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार उत्पादन कंपनियों की ओर से विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की कुल देय राशियां इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	विवरण	राशि करोड़ रुपए में
1	शेष पिछली देय राशियां (8 ईएमआईयों के भुगतान के पश्चात)	91,061
2	वर्तमान देय राशियां (विवादित को छोड़कर और डिफॉल्ट ट्रिगर तारीख से पहले)	28,449

विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) द्वारा विद्युत उत्पादन फर्मों (जेनकोस) को कुल बकाया देय राशियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध-1** में दिए गए हैं।

(ख) : डिस्कॉमों से उत्पादन कंपनियों की बकाया प्राप्य राशियों से उत्पन्न होने वाली नकदी प्रवाह संबंधी समस्याओं की पहचान करते हुए और विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में मूल भुगतान संबंधी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, जेनकोस की बढ़ती हुई प्राप्य राशियों के कारण, उनका रख-रखाव चिंता का विषय है, जिसके लिए भारत सरकार ने दिनांक 3 जून, 2022 को विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022

प्रचारित किए हैं। इन नियमों में डिस्कॉमों के लिए दिनांक 03.06.2022 को विद्यमान अपनी पिछली देय राशियों का समयबद्ध ढंग से, बराबर मासिक किस्तों में, दिनांक 03.06.2022 के बाद विलंबित भुगतान अधिभार की गैर प्रयोज्यता के लाभों सहित, निपटान करने की बाध्यता की गई है। इन नियमों में भुगतान सुरक्षा तंत्र की स्थापना के माध्यम से वर्तमान देय राशियों के समयबद्ध निपटान के लिए कार्य ढांचा और खुली पहुंच की क्रमिक निकासी के निरुत्साहन के साथ-साथ विद्युत विनियमों, यदि इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो, का प्रावधान किया गया है। डिस्कॉम उत्पादन कंपनियों को अपनी पिछली देय राशियों का भुगतान करने के लिए पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत (एलपीएस एवं संबंधित मामले) नियम, 2022 के कार्यान्वयन से बकाया देय राशियों की वसूली में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। दिनांक 03.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार 1,38,378 करोड़ रुपए की पिछली देय राशियों में से, 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 47,317 करोड़ रुपए (8 ईएमआई) की किस्त का समय पर भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 03.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार, 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से किसी प्रकार की बकाया देय राशियां न होने, की सूचना प्राप्त हुई है।

**(ग) और (घ) :** पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा प्रकाशित "विद्युत यूटिलिटियों की कार्य-निष्पादन संबंधी रिपोर्ट" के अनुसार, विनियामक परिसंपत्तियों और उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) अनुदान को छोड़कर वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत राजस्व वसूली (एआरआर) के बीच के अंतर के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक देश के सभी डिस्कॉमों की संचित हानियों के राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

**(ङ) :** भारत सरकार वित्तीय रूप से सुरक्षित, व्यवहार्य और स्थायी विद्युत क्षेत्र (विशेष रूप से वितरण खंड) के उद्देश्य से निष्पादन से सबद्ध और परिणामोन्मुखी विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा की गई विभिन्न पहलों में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस), विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम 2022, विद्युत क्षेत्र के सुधारों से जुड़े राज्यों के लिए जीएसडीपी के 0.5% का अतिरिक्त उधार, निगमित अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश, यूटिलिटियों के कार्य-निष्पादन के आधार पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड और रूरल इलेक्ट्रिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) लिमिटेड द्वारा उधार देने के लिए अतिरिक्त विवेकसम्मत मानदंड, लिक्विडिटी निषेचन स्कीम (एलआईएस) और पीएम कुसुम स्कीम शामिल हैं। डिस्कॉमों और राज्य सरकारों में वांछित वित्तीय अनुशासन लाने के लिए वित्तीय और प्रचालनात्मक संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए इन पहलों का अभिकल्पन किया गया है।

उपर्युक्त पहलों के साथ-साथ, आरडीएसएस के अंतर्गत, वितरण हानियों में कमी के प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करने और बड़े स्तर की अर्थव्यवस्थाओं के लाभों को प्राप्त करने के लिए, प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को एक मिशन मोड में संस्थापित किया जाना है। प्रणाली मीटरिंग सहित प्रीपेड स्मार्ट मीटर यूटिलिटियों में वितरण हानियों को कम करने और ऊर्जा प्रवाह संबंधी स्वचालित माप की सुविधा प्रदान करने तथा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऊर्जा लेखांकन के साथ-साथ लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सहायक उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) की संस्थापना के साथ-साथ, उच्च हानि वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए उचित ऊर्जा लेखांकन के सुगमीकरण के लिए प्रत्येक माह, संचार सुविधा सहित फीडर तथा वितरण ट्रांसफार्मर स्तर पर प्रणाली मीटरिंग भी शुरू की जाएगी।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

लोक सभा में दिनांक 06.04.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5546 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**दिनांक 28.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार डिस्कॉमों और प्राप्ति पोर्टल पर उपलब्ध कुल देय राशियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे**

**सभी आंकड़े करोड़ रुपये में**

क्र. सं.	राज्य		सभी आपूर्तिकर्ताओं की शेष पुरानी देय राशियां (अर्थात दिनांक 03.06.2022 से पहले की देय राशियां)*	सभी वर्तमान आपूर्तिकर्ताओं का देय राशियां (अर्थात दिनांक 03.06.2022 के बाद की देय राशियां)* विवादित के अलावा तथा डिफॉल्टर ट्रिगर तिथि से पहले
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	5,868	34
		आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड		48
		आंध्र प्रदेश विद्युत खरीद समन्वय समिति		905
		आंध्र प्रदेश दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड		497
2	असम	असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	-	108
3	बिहार	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	143	1,041
		दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	182	1,089
4	चंडीगढ़	चंडीगढ़ विद्युत विभाग	-	58
5	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	3,330	738
6	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	-	3
		बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	-	17
		नई दिल्ली नगरपालिका परिषद	-	117
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	252
8	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	-	639
9	हरियाणा	हरियाणा विद्युत खरीद केंद्र	-	696
10	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	-	156
11	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत व्यापार कंपनी लिमिटेड	8,721	27
12	झारखंड	झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	3,894	196
13	कर्नाटक	बंगलौर बिजली आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	6,274	1,007
		चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड	1,040	45
		गुलबर्गा विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	1,703	255
		हबली विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	1,973	442
		मैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	104	2
14	केरल	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	-	165
15	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	6,800	2,243
16	महाराष्ट्र	उत्तम उपक्रम	-	2

क्र. सं.	राज्य		सभी आपूर्तिकर्ताओं की शेष पुरानी देय राशियां (अर्थात दिनांक 03.06.2022 से पहले की देय राशियां)*	सभी वर्तमान आपूर्तिकर्ताओं का देय राशियां (अर्थात दिनांक 03.06.2022 के बाद की देय राशियां)* विवादित के अलावा तथा डिफॉल्टर ट्रिगर तिथि से पहले
		महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	14,174	6,338
17	मणिपुर	मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	54	39
18	मेघालय	मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	715
19	मिजोरम	मिजोरम विद्युत विभाग	-	37
20	नागालैंड	नागालैंड विद्युत विभाग	-	37
21	ओडिशा	ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा	-	457
22	पंजाब	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	-	481
23	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2,046	544
		जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	4,892	901
		जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	4,575	658
24	सिक्किम	सिक्किम विद्युत विभाग	-	3
25	तमिलनाडु	तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम लिमिटेड	14,024	2,638
26	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी	1,703	249
		तेलंगाना राज्य दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी	4,152	1,076
27	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	-	84
28	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	5,410	3,290
29	उत्तराखंड	उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड	-	61
30	पश्चिम बंगाल	दामोदर घाटी निगम	-	50
		पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	-	4
	<b>कुल जोड़</b>		<b>91,061</b>	<b>28,449</b>

\*आपूर्तिकर्ता अर्थात् जेनकोस, ट्रांसको और ट्रेडर है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

लोक सभा में दिनांक 06.04.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5546 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

	2019-20			2020-21			2021-22 (अंतिम)		
	औसत आपूर्ति लागत (एसीएस)	प्राप्त सब्सिडी पर एआरआर (ऋण अधियहण के लिए उदय के अंतर्गत विनियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)	प्राप्त सब्सिडी में अंतर (ऋण अधियहण के लिए उदय के अंतर्गत विनियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)	औसत आपूर्ति लागत (एसीएस)	प्राप्त सब्सिडी पर एआरआर (ऋण अधियहण के लिए उदय के अंतर्गत विनियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)	प्राप्त सब्सिडी में अंतर (ऋण अधियहण के लिए उदय के अंतर्गत विनियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)	औसत आपूर्ति लागत (एसीएस)	प्राप्त सब्सिडी पर एआरआर (ऋण अधियहण के लिए उदय के अंतर्गत विनियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)	प्राप्त सब्सिडी में अंतर (ऋण अधियहण के लिए उदय के अंतर्गत विनियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर)
<b>राज्य क्षेत्र</b>									
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24.17	4.94	19.24	27.99	4.90	23.08	-	-	-
अंडमान और निकोबार पीडी	24.17	4.94	19.24	27.99	4.90	23.08	-	-	-
<b>आंध्र प्रदेश</b>	<b>5.94</b>	<b>6.12</b>	<b>(0.18)</b>	<b>6.51</b>	<b>5.57</b>	<b>0.94</b>	<b>6.31</b>	<b>5.97</b>	<b>0.34</b>
एपीसीपीडीसीएल				6.59	5.90	0.69	6.81	6.24	0.56
एपीईपीडीसीएल	5.61	5.72	(0.11)	6.78	5.79	0.99	6.18	6.24	(0.06)
एपीएसपीडीसीएल	6.10	6.33	(0.22)	6.28	5.26	1.02	6.19	5.66	0.53
<b>अरुणाचल प्रदेश</b>	<b>7.62</b>	<b>2.72</b>	<b>4.90</b>	<b>6.99</b>	<b>2.02</b>	<b>4.97</b>	<b>6.04</b>	<b>2.32</b>	<b>3.73</b>
अरुणाचल पीडी	7.62	2.72	4.90	6.99	2.02	4.97	6.04	2.32	3.73
<b>असम</b>	<b>5.46</b>	<b>6.50</b>	<b>(1.04)</b>	<b>6.77</b>	<b>6.67</b>	<b>0.10</b>	<b>6.36</b>	<b>6.66</b>	<b>(0.3)</b>
एपीडीसीएल	5.46	6.50	(1.04)	6.77	6.67	0.10	6.36	6.66	(0.3)
<b>बिहार</b>	<b>6.26</b>	<b>5.35</b>	<b>0.91</b>	<b>6.24</b>	<b>5.52</b>	<b>0.72</b>	<b>6.41</b>	<b>5.77</b>	<b>0.65</b>
एनबीपीडीसीएल	6.65	6.08	0.57	6.29	5.49	0.81	6.48	5.8	0.68
एसबीपीडीसीएल	5.95	4.76	1.19	6.20	5.54	0.65	6.36	5.74	0.62
<b>चंडीगढ़</b>	<b>4.16</b>	<b>4.44</b>	<b>(0.27)</b>	<b>4.15</b>	<b>4.56</b>	<b>(0.41)</b>	<b>4.63</b>	<b>4.13</b>	<b>0.5</b>
चंडीगढ़ पीडी	4.16	4.44	(0.27)	4.15	4.56	(0.41)	4.63	4.13	0.5
<b>छत्तीसगढ़</b>	<b>4.97</b>	<b>4.95</b>	<b>0.02</b>	<b>4.91</b>	<b>4.85</b>	<b>0.06</b>	<b>5.01</b>	<b>4.8</b>	<b>0.21</b>
सीएसपीडीसीएल	4.97	4.95	0.02	4.91	4.85	0.06	5.01	4.8	0.21
<b>दादरा एवं नगर हवेली</b>	<b>5.06</b>	<b>5.09</b>	<b>(0.03)</b>	<b>4.59</b>	<b>5.06</b>	<b>(0.47)</b>	<b>4.89</b>	<b>5.06</b>	<b>(0.17)</b>
डीएनएचपीडीसीएल	5.06	5.09	(0.03)	4.59	5.06	(0.47)	4.89	5.06	(0.17)
<b>दमन और दीव</b>	<b>4.74</b>	<b>4.23</b>	<b>0.52</b>	<b>4.70</b>	<b>4.75</b>	<b>(0.05)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
दमन और दीव पीडी	4.74	4.23	0.52	4.70	4.75	(0.05)	-	-	-
<b>गोवा</b>	<b>4.66</b>	<b>4.05</b>	<b>0.61</b>	<b>4.82</b>	<b>4.32</b>	<b>0.50</b>	<b>5.13</b>	<b>4.55</b>	<b>0.58</b>
गोवा पीडी	4.66	4.05	0.61	4.82	4.32	0.50	5.13	4.55	0.58
<b>गुजरात</b>	<b>5.42</b>	<b>5.48</b>	<b>(0.05)</b>	<b>5.15</b>	<b>5.22</b>	<b>(0.07)</b>	<b>5.57</b>	<b>5.62</b>	<b>(0.06)</b>
डीजीवीसीएल	6.61	6.68	(0.06)	6.16	6.24	(0.07)	6.45	6.5	(0.04)
एमजीवीसीएल	5.61	5.71	(0.10)	5.52	5.63	(0.11)	5.67	5.77	(0.1)
पीजीवीसीएल	4.96	5.00	(0.04)	4.71	4.78	(0.06)	5.15	5.2	(0.06)
यूजीवीसीएल	5.00	5.05	(0.05)	4.83	4.88	(0.05)	5.29	5.33	(0.04)
<b>हरियाणा</b>	<b>5.65</b>	<b>5.71</b>	<b>(0.06)</b>	<b>5.22</b>	<b>5.33</b>	<b>(0.12)</b>	<b>5.61</b>	<b>5.76</b>	<b>(0.15)</b>
डीएचबीवीएनएल	5.51	5.55	(0.04)	5.08	5.16	(0.08)	5.55	5.6	(0.05)
यूएचबीवीएनएल	5.83	5.92	(0.09)	5.40	5.57	(0.18)	5.7	5.98	(0.28)
<b>हिमाचल प्रदेश</b>	<b>5.06</b>	<b>5.09</b>	<b>(0.03)</b>	<b>5.14</b>	<b>5.03</b>	<b>0.11</b>	<b>5.27</b>	<b>5.17</b>	<b>0.1</b>
एचपीएसईबीएल	5.06	5.09	(0.03)	5.14	5.03	0.11	5.27	5.17	0.1
<b>जम्मू और कश्मीर</b>	<b>4.18</b>	<b>2.15</b>	<b>2.03</b>	<b>4.13</b>	<b>2.32</b>	<b>1.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
जेकेपीडीडी	4.18	2.15	2.03	4.13	2.32	1.81	-	-	-
<b>झारखंड</b>	<b>6.33</b>	<b>5.45</b>	<b>0.87</b>	<b>6.09</b>	<b>4.17</b>	<b>1.92</b>	<b>6.29</b>	<b>5.06</b>	<b>1.23</b>
जेबीवीएनएल	6.33	5.45	0.87	6.09	4.17	1.92	6.29	5.06	1.23
<b>कर्नाटक</b>	<b>6.59</b>	<b>6.22</b>	<b>0.37</b>	<b>7.11</b>	<b>6.27</b>	<b>0.83</b>	<b>7.26</b>	<b>7.89</b>	<b>(0.640)</b>
बेस्कॉम	7.13	6.56	0.57	7.26	6.56	0.69	7.38	7.74	(0.36)
चेस्कॉम	5.51	5.26	0.26	6.80	5.73	1.07	6.61	7.57	(0.95)
गेस्कॉम	7.03	6.28	0.75	6.89	6.00	0.90	7.44	8.42	(0.98)
हेस्कॉम	5.81	5.98	(0.17)	7.12	6.10	1.02	7.67	8.11	(0.44)
मेस्कॉम	6.23	6.10	0.13	7.01	6.29	0.72	6.22	7.86	(1.64)
<b>केरल</b>	<b>5.63</b>	<b>5.53</b>	<b>0.10</b>	<b>6.54</b>	<b>5.84</b>	<b>0.70</b>	<b>5.55</b>	<b>5.8</b>	<b>(0.25)</b>
केएसईबीएल	5.63	5.53	0.10	6.54	5.84	0.70	5.55	5.8	(0.25)
<b>लक्षद्वीप</b>	<b>25.18</b>	<b>4.60</b>	<b>20.58</b>	<b>23.70</b>	<b>4.26</b>	<b>19.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
लक्षद्वीप ईडी	25.18	4.60	20.58	23.70	4.26	19.44	-	-	-
<b>मध्य प्रदेश</b>	<b>5.77</b>	<b>5.08</b>	<b>0.69</b>	<b>5.85</b>	<b>4.62</b>	<b>1.23</b>	<b>6.02</b>	<b>5.76</b>	<b>0.26</b>

एमपीएमएकेवीवीसीएल	5.69	4.88	0.81	5.63	4.40	1.23	5.64	5.64	(0.010)
एमपीपीएकेवीवीसीएल	5.63	5.54	0.09	5.93	5.18	0.74	6.71	6.08	0.63
एमपीपीओकेवीवीसीएल	6.02	4.75	1.27	6.02	4.24	1.77	5.65	5.51	0.13
<b>महाराष्ट्र</b>	<b>6.69</b>	<b>6.34</b>	<b>0.36</b>	<b>6.37</b>	<b>5.87</b>	<b>0.51</b>	<b>6.36</b>	<b>6.45</b>	<b>(0.09)</b>
एमएसईडीसीएल	6.70	6.30	0.39	6.33	5.83	0.50	6.36	6.45	(0.09)
बीईएसटी	6.64	7.22	(0.58)	7.93	7.18	0.75	8.46	7.08	1.38
<b>मणिपुर</b>	<b>7.00</b>	<b>6.94</b>	<b>0.06</b>	<b>6.70</b>	<b>6.62</b>	<b>0.07</b>	<b>8.93</b>	<b>8.62</b>	<b>0.31</b>
एमएसपीडीसीएल	7.00	6.94	0.06	6.70	6.62	0.07	8.93	8.62	0.31
<b>मेघालय</b>	<b>5.71</b>	<b>3.85</b>	<b>1.86</b>	<b>5.63</b>	<b>3.94</b>	<b>1.69</b>	<b>4.42</b>	<b>3.92</b>	<b>0.5</b>
मेपीडीसीएल	5.71	3.85	1.86	5.63	3.94	1.69	4.42	3.92	0.5
<b>मिजोरम</b>	<b>8.19</b>	<b>7.62</b>	<b>0.57</b>	<b>11.19</b>	<b>5.11</b>	<b>6.08</b>	-	-	-
मिजोरम पीडी	8.19	7.62	0.57	11.19	5.11	6.08	-	-	-
<b>नागालैंड</b>	<b>8.71</b>	<b>7.50</b>	<b>1.21</b>	<b>9.30</b>	<b>7.53</b>	<b>1.76</b>	<b>8.11</b>	<b>2.39</b>	<b>5.72</b>
नागालैंड पीडी	8.71	7.50	1.21	9.30	7.53	1.76	8.11	2.39	5.72
<b>पुदुचेरी</b>	<b>5.78</b>	<b>4.81</b>	<b>0.97</b>	<b>4.97</b>	<b>4.93</b>	<b>0.04</b>	-	-	-
पुडुचेरी पीडी	5.78	4.81	0.97	4.97	4.93	0.04	-	-	-
<b>पंजाब</b>	<b>6.07</b>	<b>5.90</b>	<b>0.17</b>	<b>5.65</b>	<b>5.66</b>	<b>(0.01)</b>	<b>5.64</b>	<b>5.91</b>	<b>(0.27)</b>
पीएसपीसीएल	6.07	5.90	0.17	5.65	5.66	(0.01)	5.64	5.91	(0.27)
<b>राजस्थान</b>	<b>6.81</b>	<b>5.32</b>	<b>1.49</b>	<b>6.68</b>	<b>5.99</b>	<b>0.69</b>	<b>6.37</b>	<b>6.62</b>	<b>(0.25)</b>
एवीवीएनएल	6.89	6.15	0.74	6.67	6.31	0.36	6.46	7.03	(0.56)
जेडीवीएनएल	6.83	4.51	2.31	6.68	5.49	1.19	6.42	6.28	0.14
जेवीवीएनएल	6.73	5.45	1.29	6.67	6.21	0.46	6.25	6.64	(0.39)
<b>सिक्किम</b>	<b>5.22</b>	<b>3.51</b>	<b>1.71</b>	<b>4.42</b>	<b>3.82</b>	<b>0.60</b>	<b>4.32</b>	<b>3.68</b>	<b>0.64</b>
सिक्किम पीडी	5.22	3.51	1.71	4.42	3.82	0.60	4.32	3.68	0.64
<b>तमिलनाडु</b>	<b>6.76</b>	<b>5.01</b>	<b>1.75</b>	<b>7.17</b>	<b>5.13</b>	<b>2.04</b>	<b>7.48</b>	<b>5.79</b>	<b>1.68</b>
टैजको	6.76	5.01	1.75	7.17	5.13	2.04	7.48	5.79	1.68
<b>तेलंगाना</b>	<b>6.41</b>	<b>5.33</b>	<b>1.09</b>	<b>6.46</b>	<b>5.39</b>	<b>1.06</b>	<b>6.61</b>	<b>6.52</b>	<b>0.08</b>
टीएसएनपीडीसीएल	6.28	5.48	0.80	6.43	5.32	1.11	6.91	6.82	0.09
टीएसएसपीडीसीएल	6.48	5.25	1.22	6.47	5.43	1.04	6.48	6.4	0.08
<b>त्रिपुरा</b>	<b>4.90</b>	<b>4.60</b>	<b>0.30</b>	<b>4.84</b>	<b>4.85</b>	<b>(0.00)</b>	<b>5.34</b>	<b>5</b>	<b>0.34</b>
टीएसईसीएल	4.90	4.60	0.30	4.84	4.85	(0.00)	5.34	5	0.34
<b>उत्तर प्रदेश</b>	<b>6.39</b>	<b>6.04</b>	<b>0.34</b>	<b>6.86</b>	<b>5.93</b>	<b>0.93</b>	<b>7.42</b>	<b>6.86</b>	<b>0.56</b>
डीवीवीएनएल	5.89	5.66	0.22	5.97	5.11	0.87	6.91	5.76	1.15
केस्को	8.06	7.44	0.62	9.58	9.07	0.51	8.59	8.01	0.57
एमवीवीएनएल	6.70	6.37	0.33	7.13	6.74	0.39	8.41	7.57	0.84
पीएवीवीएनएल	6.28	5.97	0.31	7.18	6.06	1.12	7.18	6.98	0.2
पीयूवीवीएनएल	6.50	6.02	0.48	6.74	5.45	1.29	7.15	6.95	0.2
<b>उत्तराखंड</b>	<b>4.94</b>	<b>4.74</b>	<b>0.21</b>	<b>4.74</b>	<b>4.65</b>	<b>0.10</b>	<b>4.9</b>	<b>4.9</b>	<b>0</b>
यूपीसीएल	4.94	4.74	0.21	4.74	4.65	0.10	4.9	4.9	0
<b>पश्चिम बंगाल</b>	<b>5.82</b>	<b>5.40</b>	<b>0.42</b>	<b>6.12</b>	<b>5.16</b>	<b>0.96</b>	<b>5.22</b>	<b>5.42</b>	<b>(0.20)</b>
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	5.82	5.40	0.42	6.12	5.16	0.96	5.22	5.42	(0.2)
<b>निजी क्षेत्र</b>									
<b>दिल्ली</b>	<b>7.42</b>	<b>7.22</b>	<b>0.20</b>	<b>7.25</b>	<b>6.81</b>	<b>0.44</b>	<b>6.86</b>	<b>7.07</b>	<b>(0.21)</b>
बीआरपीएल	7.57	7.21	0.36	7.71	6.92	0.79	7.23	7.51	(0.280)
बीवाईपीएल	7.16	6.75	0.41	7.06	6.40	0.66	6.91	6.91	0
टीपीडीडीएल	7.41	7.59	(0.17)	6.80	6.98	(0.18)	6.39	6.68	(0.29)
<b>गुजरात</b>	<b>6.53</b>	<b>7.05</b>	<b>(0.52)</b>	<b>6.56</b>	<b>7.21</b>	<b>(0.65)</b>	-	-	-
टॉरेट पावर अहमदाबाद	6.63	7.21	(0.58)	6.62	7.22	(0.61)	-	-	-
टॉरेट पावर सूरत	6.30	6.68	(0.38)	6.41	7.17	(0.75)	-	-	-
<b>महाराष्ट्र</b>	<b>6.91</b>	<b>7.88</b>	<b>(0.97)</b>	<b>7.14</b>	<b>7.12</b>	<b>0.02</b>	<b>7.36</b>	<b>7.71</b>	<b>(0.35)</b>
एईएमएल	6.91	7.88	(0.97)	7.14	7.12	0.02	7.62	8.08	(0.45)
<b>ओडिशा</b>	<b>4.78</b>	<b>4.44</b>	<b>0.34</b>	<b>4.37</b>	<b>3.99</b>	<b>0.38</b>	<b>4.61</b>	<b>4.99</b>	<b>(0.37)</b>
सीईएसयू	4.64	4.23	0.41				-	-	-
टीपीसीओडीएल				3.49	3.37	0.12	4.63	4.77	(0.14)
नेस्को यूटीलिटी	4.86	4.60	0.26	4.81	4.56	0.25	-	-	-
साउथको यूटीलिटी	4.81	3.84	0.97	5.25	3.65	1.60	-	-	-
टीपीएसओडीएल				3.56	3.91	(0.35)	4.18	4.4	(0.22)
वेस्को यूटीलिटी	4.88	4.84	0.04	5.05	4.37	0.68	-	-	-
टीपीडब्ल्यूओडीएल				4.21	4.57	(0.36)	4.55	5.29	(0.74)
<b>उत्तर प्रदेश</b>	<b>6.35</b>	<b>7.17</b>	<b>(0.83)</b>	<b>5.76</b>	<b>7.31</b>	<b>(1.55)</b>	<b>6.47</b>	<b>7.58</b>	<b>(1.11)</b>
एनपीसीएल	6.35	7.17	(0.83)	5.76	7.31	(1.55)	6.47	7.58	(1.11)
<b>पश्चिम बंगाल</b>	<b>6.48</b>	<b>6.97</b>	<b>(0.49)</b>	<b>6.65</b>	<b>7.04</b>	<b>(0.39)</b>	<b>6.8</b>	<b>7.06</b>	<b>(0.26)</b>
सीईएससी	6.54	7.05	(0.52)	6.75	7.14	(0.39)	6.85	7.16	(0.31)
आईपीसीएल	5.76	5.82	(0.06)	5.52	5.90	(0.39)	6.26	5.98	0.28
<b>कुल जोड़</b>	<b>6.14</b>	<b>5.64</b>	<b>0.50</b>	<b>6.19</b>	<b>5.49</b>	<b>0.71</b>	<b>6.29</b>	<b>6.14</b>	<b>0.15</b>

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-III**

लोक सभा में दिनांक 06.04.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5546 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

संचित हानि (करोड़ रुपये)			
	दिनांक 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार (अनंतिम)
<b>राज्य क्षेत्र</b>			
<b>आंध्र प्रदेश</b>	<b>(29,143)</b>	<b>(28,707)</b>	<b>(31,195)</b>
एपीसीपीडीसीएल		(9,407)	(10,208)
एपीईपीडीसीएल	(7,971)	(7,539)	(7,172)
एपीएसपीडीसीएल	(21,172)	(11,761)	(13,815)
<b>असम</b>	<b>(959)</b>	<b>(1,251)</b>	<b>(893)</b>
एपीडीसीएल	(959)	(1,251)	(893)
<b>बिहार</b>	<b>(14,673)</b>	<b>(16,615)</b>	<b>(19,456)</b>
एनबीपीडीसीएल	(4,670)	(5,472)	(6,854)
एसबीपीडीसीएल	(10,003)	(11,143)	(12,602)
<b>छत्तीसगढ़</b>	<b>(7,290)</b>	<b>(7,710)</b>	<b>(8,924)</b>
सीएसपीडीसीएल	(7,290)	(7,710)	(8,924)
<b>चंडीगढ़</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(748)</b>
चंडीगढ़ पीडी	-	-	(748)
<b>दादरा एवं नगर हवेली</b>	<b>140</b>	<b>370</b>	<b>476</b>
डीएनएचपीडीसीएल	140	370	476
<b>गोवा</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1,177)</b>
गोवा पीडी	-	-	(1,177)
<b>गुजरात</b>	<b>79</b>	<b>455</b>	<b>801</b>
डीजीवीसीएल	298	402	493
एमजीवीसीएल	244	290	393
पीजीवीसीएल	(577)	(412)	(338)
यूजीवीसीएल	114	175	252
<b>हरियाणा</b>	<b>(28,978)</b>	<b>(28,341)</b>	<b>(28,404)</b>
डीएचबीवीएनएल	(13,581)	(13,342)	(13,322)
यूएचबीवीएनएल	(15,396)	(14,999)	(15,082)
<b>हिमाचल प्रदेश</b>	<b>(1,521)</b>	<b>(1,694)</b>	<b>(1,810)</b>
एचपीएसईबीएल	(1,521)	(1,694)	(1,810)
<b>झारखंड</b>	<b>(6,261)</b>	<b>(8,461)</b>	<b>(11,271)</b>
जेबीवीएनएल	(6,261)	(8,461)	(11,271)
<b>कर्नाटक</b>	<b>(5,645)</b>	<b>(9,821)</b>	<b>(14,413)</b>
बेस्कॉम	(1)	207	(2,712)
चेस्कॉम	(1,242)	(1,966)	(2,388)
गेस्कॉम	(1,995)	(3,113)	(3,101)
हेस्कॉम	(2,638)	(5,128)	(6,422)
मेस्कॉम	231	178	211
<b>केरल</b>	<b>(12,104)</b>	<b>(14,589)</b>	<b>(19,200)</b>
केएसईबीएल	(12,104)	(14,589)	(19,200)
<b>लद्दाख</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>
लद्दाख पीडी	-	-	(7)
<b>मध्य प्रदेश</b>	<b>(52,981)</b>	<b>(56,881)</b>	<b>(59,546)</b>
एमपीएमएकेवीवीसीएल	(23,240)	(24,690)	(24,947)
एमपीपीएकेवीवीसीएल	(10,492)	(10,187)	(11,977)
एमपीपीओकेवीवीसीएल	(19,249)	(22,004)	(22,621)
<b>महाराष्ट्र</b>	<b>(23,428)</b>	<b>(24,745)</b>	<b>(25,141)</b>
एमएसईडीसीएल	(23,428)	(24,745)	(20,194)

बीईएसटी	-	-	4,947
<b>मणिपुर</b>	<b>(131)</b>	<b>(146)</b>	<b>(157)</b>
एमएसपीडीसीएल	(131)	(146)	(157)
<b>मेघालय</b>	<b>(2,413)</b>	<b>(2,838)</b>	<b>(2,628)</b>
मेपीडीसीएल	(2,413)	(2,838)	(2,628)
<b>पुदुचेरी</b>	<b>(772)</b>	<b>(780)</b>	-
पुदुचेरी पीडी	(772)	(780)	-
<b>पंजाब</b>	<b>(8,159)</b>	<b>(6,713)</b>	<b>(5,644)</b>
पीएसपीसीएल	(8,159)	(6,713)	(5,644)
<b>राजस्थान</b>	<b>(86,868)</b>	<b>(89,084)</b>	<b>(89,556)</b>
एवीवीएनएल	(28,230)	(28,055)	(27,497)
जेडीवीवीएनएल	(29,765)	(31,497)	(32,962)
जेवीवीएनएल	(28,872)	(29,533)	(29,097)
<b>तमिलनाडु</b>	<b>(99,860)</b>	<b>(1,13,268)</b>	<b>(1,25,222)</b>
टैजेडको	(99,860)	(113,268)	(1,25,222)
<b>तेलंगाना</b>	<b>(42,293)</b>	<b>(48,982)</b>	<b>(49,816)</b>
टीएसएनपीडीसीएल	(12,984)	(15,427)	(15,634)
टीएसएसपीडीसीएल	(29,309)	(33,555)	(34,182)
<b>त्रिपुरा</b>	<b>(391)</b>	<b>(378)</b>	<b>(496)</b>
टीएसईसीएल	(391)	(378)	(496)
<b>उत्तर प्रदेश</b>	<b>(85,069)</b>	<b>(70,443)</b>	<b>(77,937)</b>
डीवीवीएनएल	(27,754)	(21,912)	(24,957)
केस्को	(3,790)	(3,960)	(4,179)
एमवीवीएनएल	(15,557)	(13,376)	(15,489)
पीएवीवीएनएल	(17,295)	(20,919)	(21,624)
पीयूवीवीएनएल	(20,674)	(10,277)	(11,688)
<b>उत्तराखंड</b>	<b>(3,699)</b>	<b>(3,851)</b>	<b>(3,872)</b>
यूपीसीएल	(3,699)	(3,851)	(3,872)
<b>पश्चिम बंगाल</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>83</b>
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	3	34	83
<b>निजी क्षेत्र</b>			
<b>दिल्ली</b>	<b>3,972</b>	<b>5,452</b>	<b>9,622</b>
बीआरपीएल	1,040	1,811	4,144
बीवाईपीएल	603	1,014	2,539
टीपीडीडीएल	2,330	2,627	2,939
<b>गुजरात</b>	<b>947</b>	<b>1,964</b>	-
टोरेट पावर अहमदाबाद	836	1,649	-
टोरेट पावर सूरत	110	315	-
<b>महाराष्ट्र</b>	<b>(1,021)</b>	<b>(388)</b>	<b>(898)</b>
एईएमएल	(1,021)	(388)	(898)
<b>ओडिशा</b>	<b>(7,152)</b>	<b>(556)</b>	<b>264</b>
सीईएसयू	(4,249)	-	-
टीपीसीओडीएल	-	-	36
नेस्को यूटीलिटी	(451)	(577)	-
साउथको यूटीलिटी	(1,101)	-	-
टीपीएसओडीएल	-	22	91
वेस्को यूटीलिटी	(1,351)	-	-
टीपीडब्ल्यूओडीएल	-	(1)	63
टीपीएनडब्ल्यूओडीएल	-	-	74
<b>उत्तर प्रदेश</b>	<b>945</b>	<b>1,047</b>	<b>1,168</b>
एनपीसीएल	945	1,047	1,168
<b>पश्चिम बंगाल</b>	<b>9,825</b>	<b>10,582</b>	<b>9,761</b>
सीईएससी	9,620	10,353	9,500
आईपीसीएल	205	230	261
<b>कुल जोड़</b>	<b>(5,04,899)</b>	<b>(5,16,336)</b>	<b>(5,49,491)</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5571

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2023 को दिया गया

घरेलू कोयले की कमी

5571. श्री पी.आर. नटराजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कोयला मंत्रालय ने कोयले का आयात समाप्त कर दिया है जबकि विद्युत मंत्रालय ने कोयले का आयात अनिवार्य कर दिया है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त मंत्रालयों के बीच विसंगति के क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने घरेलू कोयले की कमी, जिससे शुष्क ईंधन के आयात की आवश्यकता बढ़ गई है; को दूर करने के लिए दस प्रतिशत आयातित कोयले की मिश्रित करने का निर्देश भी पारित किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : उच्च कैलोरीकृत मूल्य वाले आयातित कोयले के उपयोग के लिए विद्युत संयंत्र निर्धारित हैं। इसलिए विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के आयातों को शून्य तक घटाया नहीं जा सकता। सीमेंट, स्पंज आयरन, एल्युमीनियम उद्योग, उच्च कैलोरीकृत मूल्य के कम राख वाले आयातित कोयले का उपयोग कर रहे हैं। उपभोक्ताओं की ऐसी श्रेणी के लिए कोयले की आवश्यकता को घरेलू कोयले से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, कोयले के आयात को शून्य तक घटाया नहीं जा सकता है। इसके साथ-साथ, ताप विद्युत संयंत्र द्वारा वर्ष 2009 से ब्लेंडिंग के प्रयोजन हेतु कोयले का आयात किया जा रहा है। बिजली की मांग में वृद्धि के कारण, विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति स्वदेशी कोयले की आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी। सितंबर, 2022 और जनवरी, 2023 माह के बीच कोयले की दैनिक खपत और स्वदेशी कोयले की दैनिक आवक के बीच का अंतर 2.65 लाख टन से 0.5 लाख टन की रेंज में था। यदि ब्लेंडिंग के प्रयोजन से आयात नहीं किया जाता, तो सितंबर, 2022 तक ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक शून्य तक घट गया होता और अगर ऐसा होना जारी रहता, तो इसके परिणामस्वरूप व्यापक विद्युत कटौतियां तथा ब्लैक आउट होते रहते। इसलिए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 09.01.2023 को केंद्रीय, राज्य जेनकोज़ तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपीज़) को ब्लेंडिंग के लिए एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी क्रय के माध्यम से कोयले के आयात करने की सलाह दी ताकि सितंबर, 2023 तक सुचारू प्रचालनों के लिए उनके विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त कोयले का स्टॉक उपलब्ध रहे।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-5658  
जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2023 को दिया गया

पंजाब में जारी बिजली संकट

5658. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार पंजाब में जारी बिजली संकट से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को पंजाब में विद्युत की कमी की वजह से लंबी अवधि तक हो रही बिजली कटौती की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने पंजाब राज्य को केंद्रीय सहायता के बिना राज्य में प्री-पेड बिजली मीटर लगाने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या राज्यों के विद्युत विभागों के पास राज्य में विद्युत संयंत्रों को संचालित करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है जिसके कारण विद्युत संयंत्र बंद हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार बिजली संकट से निपटने में राज्य की मदद करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों और वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 तक) के लिए पंजाब राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) : भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत पंजाब सहित पात्र वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को उनके प्रस्तावों पर, अन्य बातों के साथ-साथ, मार्च, 2025 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने और संचार विशेषताओं सहित प्रणालीगत मीटरिंग हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। आरडीएसएस के अंतर्गत, पंजाब के लिए अनुमोदित उपभोक्ताओं हेतु प्रीपेड मीटरों की संख्या 8,784,807 है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर सहित मीटर संस्थापित करने का कार्य संबंधित वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) द्वारा किया जाता है। वर्तमान में चल रही आरडीएसएस स्कीम के अंतर्गत, स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के

साथ-साथ वितरण अवसंरचना के उन्नयन के लिए भी वित्तपोषण किया जा रहा है, जिसमें पर्यवेक्षी नियंत्रण और आंकड़ा अधिग्रहण (स्काडा/डीएमएस) आदि जैसे सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप शामिल हैं।

**(घ) और (ङ) :** पंजाब सहित किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति और वितरण करना संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विद्युत की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था करना संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी का उत्तरदायित्व है। आरडीएसएस का उद्देश्य डिस्कॉमों की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की संस्थापना करते हुए और उनसे विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आबंटित करते हुए राज्य सरकारों की सहायता करती है।

केंद्र सरकार राज्यों को उनकी वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु अपनी विभिन्न स्कीमों, जिसमें दीनदयाल उपाध्यय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शामिल हैं, के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

लोक सभा में दिनांक 06.04.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5658 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 और वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 तक की अवधि) के लिए पंजाब की विद्युत आपूर्ति की स्थिति के ब्यौरे।

वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट में (एमयू)]			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2019-20	56,776	56,770	6	0.0
2020-21	58,445	58,377	67	0.1
2021-22	62,846	62,411	436	0.7
2022-23 (फरवरी, 2023 तक)	65,247	64,961	286	0.4

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5660

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2023 को दिया गया

पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए कार्य योजना

5660. श्री मददीला गुरुमूर्ति:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने विशाखापट्टनम में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) हेतु पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) के लिए कार्य योजना तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पीसीएस स्थापित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ कोई सहयोग किया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा 9 बड़े शहरों नामतः मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, हैदराबाद और पुणे के लिए कार्य योजना तैयार की गई है।

(ग) और (घ) : विद्युत मंत्रालय ने पहले ही दिनांक 14.01.2022 (दिनांक 07.11.2023 को संशोधित) को विद्युत वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग अवसंरचना हेतु संशोधित समेकित दिशा-निर्देश तथा मानक जारी किए हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- (i) हाईवे/सड़कों के दोनों ओर प्रत्येक 25 कि.मी. पर एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा।
- (ii) बड़ी रेंज वाले ईवी और/अथवा हैवी ड्यूटी ईवी जैसे बसों/ट्रकों आदि के लिए, प्रत्येक 100 कि.मी. पर कम से कम एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन होगा।

जैसाकि भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा सूचित किया गया है, भारत में हाइब्रिड एवं विद्युत वाहनों के त्वरित अधिग्रहण और विनिर्माण (फेम-II)-इंडिया स्कीम के चरण-II में, चार्जिंग अवसंरचना के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं तथा 9 एक्सप्रेस-वे तथा 16 हाईवे में 1576 चार्जिंग स्टेशन संस्वीकृत किए गए हैं। फेम-II इंडिया स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत चार्जिंग स्टेशनों के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 06.04.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5660 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**फेम-II के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संस्वीकृत ईवी चार्जर**

**कॉरीडोर/एक्सप्रेस-वे:**

क्रम संख्या	कॉरीडोर/एक्सप्रेस-वे का नाम	चार्जिंग स्टेशन
1	मुंबई - पुणे एक्सप्रेस-वे	10
2	अहमदाबाद - वड़ोदरा एक्सप्रेस-वे	10
3	दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे	20
4	बैंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस-वे	14
5	बैंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेस-वे	30
6	सूरत-मुंबई एक्सप्रेस-वे	30
7	आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे	40
8	ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे	14
9	हैदराबाद ओआरआर एक्सप्रेस-वे	16
	<b>कुल</b>	<b>184</b>

**हाईवे:**

क्रम संख्या	हाईवे का नाम	संस्वीकृत ईवी चार्जिंग स्टेशन
1	दिल्ली - श्रीनगर हाईवे	80
2	दिल्ली - कोलकाता हाईवे	160
3	आगरा - नागपुर हाईवे	80
4	मेरठ से गंगोत्री धाम हाईवे	44
5	मुंबई - दिल्ली हाईवे	124
6	मुंबई-पणजी हाईवे	60
7	मुंबई - नागपुर हाईवे	70
8	मुंबई - बैंगलुरु हाईवे	100
9	कोलकाता - भुवनेश्वर हाईवे	44
10	कोलकाता - नागपुर हाईवे	120
11	कोलकाता - गंगटोक हाईवे	76
12	चेन्नई-भुवनेश्वर हाईवे	120
13	चेन्नई - त्रिवेंद्रम हाईवे	74
14	चेन्नई-बैल्लारी हाईवे	62
15	चेन्नई - नागपुर हाईवे	114
16	मंगलदाई (असम) - वाकरो (अरुणाचल प्रदेश)	64
	<b>कुल</b>	<b>1392</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-5697  
जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2023 को दिया गया

ट्रांसमिशन नेटवर्क

5697. श्री टी.आर. बालू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री 'गति शक्ति मास्टर प्लान' के एक भाग के रूप में 4,54,200 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की लागत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और
- (घ) प्रस्तावित ट्रांसमिशन नेटवर्क देश में बिजली कटौती को पूरी तरह से दूर करने में किस हद तक मदद करेगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : प्रधानमंत्री के 'गति शक्ति मास्टर प्लान' के अंतर्गत, विद्युत पारेषण नेटवर्क को वर्ष 2024-25 तक 4,25,500 सर्किट किलोमीटर (दिनांक 31.05.2020 तक की मौजूदा स्थिति के अनुसार) से बढ़ाकर 4,54,200 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) करने की आयोजना है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 28,700 सीकेएम की वृद्धि हो जाएगी। इस वृद्धि के लिए 220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) नेटवर्क में प्रस्तावित किया गया है।

विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर, कुछ पारेषण लाइनों की लंबाई में परिवर्तन हुआ है। कुछ पारेषण प्रणालियों का वर्ष 2024-25 के बाद पूरा होने की संभावना है। साथ ही, कुछ नई पारेषण परियोजनाओं पर विचार किया गया है। इसलिए, 28700 सीकेएम की अतिरिक्त पारेषण लाइनों के निमित्त, वर्ष 2024-25 तक जोड़ा जाने वाला पारेषण नेटवर्क लगभग 27,000 सीकेएम है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत करीब 75,000 करोड़ रुपये है। चूंकि, ये अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाएं हैं और किसी एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लागत का निर्धारण किया जाना व्यवहार्य नहीं है।

प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना के अंतर्गत क्षमता परिवर्धन का सारांश **अनुबंध** में दिया गया है।

**(घ) :** भारत के पास एक सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड है जो संसाधन समृद्ध क्षेत्रों से देश के प्रमुख भार केंद्रों में विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ निर्बाध विद्युत अंतरण की सुविधा प्रदान करता है। विद्युत को अधिशेष क्षेत्रों/राज्यों से घाटे वाले क्षेत्रों/राज्यों में अंतरित किया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रिड की क्षमता को विद्युत उत्पादन और विद्युत की मांग में वृद्धि के अनुरूप निरंतर आधार पर बढ़ाया जा रहा है। दिनांक 28. 02. 2023 तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय पारेषण नेटवर्क में 4,68,977 सीकेएम पारेषण लाइनें (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) तथा सबस्टेशनों (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) में 11,58,875 एमवीए की रूपांतरण क्षमता शामिल है। राष्ट्रीय ग्रिड की अंतर-क्षेत्रीय क्षमता 1,12,250 मेगावाट है।

देश के पास पर्याप्त पारेषण क्षमता है। तथापि, राज्य स्तरीय पारेषण नेटवर्क और वितरण नेटवर्क में बाधाओं या कुछ वितरण कंपनियों के साथ वित्तीय बाधाओं के कारण कभी-कभी विद्युत कटौतियों की सूचना दी जाती है।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित पारेषण परियोजनाओं से देश में विद्युत प्रणाली नेटवर्क की बेहतर विश्वसनीयता के साथ उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की निकासी की सुविधा प्रदान करने की संभावना है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

लोक सभा में दिनांक 06.04.2023 को उत्तरार्ध अतारंकित प्रश्न संख्या 5697 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रारंभिक रूप से बनाई गई योजना (सीकेएम)	वर्ष 2024-25 तक संभावित क्षमता वृद्धि (सीकेएम)	शुरू की गई अनुसूची
1	अंतर-क्षेत्रीय संपर्क	छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना	4000	4603	<ul style="list-style-type: none"> <li>शुरू की गई: 3939 सीकेएम</li> <li>निर्माणाधीन: 664 सीकेएम अप्रैल'23 तक पूरा होने का अनुमान है</li> </ul>
2	66.5 गीगावॉट संभावित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (आरईजेड) के एकीकरण के लिए पारेषण प्रणाली	<ul style="list-style-type: none"> <li>राजस्थान (20 गीगावॉट)</li> <li>गुजरात (16 गीगावॉट)</li> <li>मध्य प्रदेश (5 गीगावॉट)</li> <li>महाराष्ट्र (7 गीगावॉट)</li> <li>कर्नाटक (7.5 गीगावॉट)</li> <li>आंध्र प्रदेश (8 गीगावॉट)</li> <li>तमिलनाडु (3 गीगावॉट)</li> </ul>	13500	12784	<ul style="list-style-type: none"> <li>शुरू की गई: 3904 सीकेएम</li> <li>निर्माणाधीन: 8598 सीकेएम</li> <li>निविदा के अधीन: 282 सीकेएम अप्रैल'23 से दिसंबर'24 तक उत्तरोत्तर पूरा होने का अनुमान है</li> </ul>
3	राजस्थान में 20 गीगावॉट संभावित आरईजेड की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली	राजस्थान	6800	4400	<ul style="list-style-type: none"> <li>निविदा के अधीन: 4400 सीकेएम दिसम्बर, 2024 तक पूरा होने का अनुमान है</li> </ul>
4	गुजरात में संभावित आरईजेड से 11 गीगावॉट की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली अर्थात् खावड़ा से 7 गीगावॉट और धोलेरा से 4 गीगावॉट	गुजरात	4400	0	वर्ष 2025-26 तक पूरा होने की संभावना है
		उप-जोड़	28700	21787	
5	अन्य पारेषण परियोजनाएं		-	5201	
		कुल	28700	26988	

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5714

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2023 को दिया गया

स्मार्ट मीटर लगाना

5714. श्री गोपाल जी ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद से गरीब उपभोक्ताओं को बड़े हुए बिल मिल रहे हैं और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है;
- (ख) यदि हां, तो क्या पुराने मीटरों की तुलना में नए स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिलिंग राशि दोगुनी या तीन गुना हो गई है;
- (ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में व्यापक जिले-वार जांच करने के लिए बिहार में एक केंद्रीय जांच दल भेजने का विचार है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) टीम द्वारा उक्त जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : बिहार डिस्कॉमों द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार, डिस्कॉम बिलिंग सिस्टम/सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनकी वास्तविक ऊर्जा खपत के आधार पर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से बिल वसूला जाता है। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं और सामान्य मीटर उपभोक्ताओं के लिये टैरिफ एकसमान है, जिसे बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। डिस्कॉमों के अनुसार, स्मार्ट मीटरयुक्त उपभोक्ताओं को बड़े हुए बिल नहीं मिल रहे हैं।

(ग) से (ङ) : उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करने संबंधी पहल के रूप में, बिहार सहित छह राज्यों में स्मार्ट मीटरों का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से अनुभव प्राप्त करने के लिए ऊर्जा, पर्यावरण तथा जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) और इंटेलीस्मार्ट द्वारा दो स्वतंत्र अध्ययन संचालित किए गए। इस अध्ययन के निष्कर्ष सुचारु उन्नत बिलिंग सेवाओं की ओर इंगित करते हैं। उपभोक्ताओं के बड़े वर्ग ने भी बिल संबंधी भुगतानों में सहजता और लचीलेपन की सूचना दी है। इसके साथ-साथ, विद्युत खर्चों पर और अधिक नियंत्रण करने, खपत और बिल की जानकारी तक संवर्धित पहुँच और विद्युत आपूर्ति की बेहतर स्थिति, स्मार्ट मीटरिंग के कुछ अनुभूत सह-लाभ हैं।

विद्युत मंत्रालय में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है, जिसका मुख्य कार्य, अन्य कार्यों के साथ-साथ उपभोक्ता इंटरफेस प्रबंधन है। समूह ने स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं के बीच उपभोक्ता जागरूकता एवं उनकी संतुष्टि का आकलन करने संबंधी एक अध्ययन किया और इसमें गलत बिलिंग करने संबंधी मामला नहीं पाया गया।

विद्युत मंत्रालय ने नोडल एजेंसियों (आरईसी और पीएफसी) को स्मार्ट मीटरों की कार्यप्रणाली के संबंध में स्वतंत्र तृतीय पक्षों के माध्यम से नियमित अध्ययन/सर्वेक्षण संचालित करने का निर्देश दिया है। डिस्कॉमों को चेक मीटर संस्थापित करने तथा विद्युत (उपभोक्ताओं का अधिकार) नियम, 2020 के प्रावधान के अनुसरण में डिस्कॉमों द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-5719  
जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2023 को दिया गया

एनटीपीसी द्वारा कोयला खदानों का अधिग्रहण

5719. श्री अजय निषाद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का अन्य देशों में कोयला खदानों का अधिग्रहण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार, एनटीपीसी ने किन देशों में कोयला खदानों का अधिग्रहण किया हुआ है; और

(घ) अन्य देशों में स्थित उक्त कोयला खदानों से निकाले गए कोयले की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : जी, नहीं। एनटीपीसी का अन्य देशों में कोयला खानों के अधिग्रहण करने का कोई विचार नहीं है।

\*\*\*\*\*